

2
8/10/21

Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

कूलाचिह्न 1511P

बनाम

सरकार

किसम गुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 248 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इरा हुकम की तामील में जारी किए
29/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुकलाचिह्न</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/463 दिनांक 29/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>मालवा</u> में प्रार्थी के नाम चक 1511P की जमाबंदी सम्बन्ध 2003 के खाता सं. 163 में <u>कूलाचिह्न मकान सिंह कोट</u> <u>राजस्थान</u> के स्थान पर <u>कूलाचिह्न 93 मकान सिंह</u> <u>कोट राजस्थान</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंसा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मुकलाचिह्न</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर वाके चक 1511P तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बन्ध 2003 के खाता सं. 163 में <u>कूलाचिह्न मकान</u> <u>सिंह कोट राजस्थान</u> के स्थान पर <u>कूलाचिह्न 93 मकान सिंह</u> <u>कोट राजस्थान</u> की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी

रायसिंहनगर

दीप
मालवा